बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 08/3170/ पटना, दिनांक 3.10.18
सं0 सं0–05 / उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 21 / 2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
वैशाली।

विषय :– मुख्य शीर्ष–4885–उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–02–पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष–050–भूमि, मांग सं0–23, उपशीर्ष–0101– औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड–23–4885020500101, विषय शीर्ष–0101.53.02–भू–अर्जन के तहत भू–अर्जन वाद संख्या–18 / 1982–83 एवं 31 / 1982–83 विश्वामित्र प्रसाद चौधरी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य से उत्पन्न प्रथम अपील वाद संख्या 125 / 1996 एवं 126 / 1996 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में जयघोष राशि मूलधन रू0 3,20,230.45 (तीन लाख बीस हजार दो सौ तीस रूपये एवं पैंतालीस पैसे) मात्र की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में भू–अर्जन से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल **रू0 3,20,230.45 (तीन लाख बीस हजार दो सौ तीस रूपये एवं पैंतालीस पैसे)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययक शीर्ष 4885–उद्योग तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–02–पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष–050–भूमि, मांग सं0–23, उपशीर्ष–0101– औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड–23–4885020500101, विषय शीर्ष–0101.53.02–भू–अर्जन से विकलित होगा।

3 यह आवंटन विधि विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0 153 दिनांक 27.08.2018 तथा तत्संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक 3977 दिनांक 17.09.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

कृ0 पृ0 उ0

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
(घ) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।
(च) मुख्य बजट शीर्ष–4885–उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–02–पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष–050–भूमि, मांग सं0–23, उपशीर्ष–0101– औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड–23–4885020500101, विषय शीर्ष–0101.53.02–भू–अर्जन के तहत भू–अर्जन वाद संख्या–18/1982–83 एवं 31/1982–83 विश्वामित्र प्रसाद चौधरी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य से उत्पन्न प्रथम अपील वाद संख्या 125/1996 एवं 126/1996 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में जयघोष राशि मूलधन रू0 **3,20,230.45 (तीन लाख बीस हजार दो सौ तीस रूपये एवं पैंतालीस पैसे)** मात्र के आवंटन के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश में निहित निदेश के अनुरूप व्यय किया जाए।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 08/3110/ पटना, दिनांक 3-10-18

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 08/3110/ पटना, दिनांक 3-10-18

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, वैशाली/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा ~~आई0 टी0~~ मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।